बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग :: अधिसूचना ::

अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014)" की धारा-14 की उप धारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" में संशोधन हेतु बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है।

 संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ (- (1) यह नियमावली "बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

 "बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" के नियम-8 (3) का प्रतिस्थापन — उक्त नियमावली के नियम-8 (3) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

"पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा--- विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जाँच/साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधासूची तैयार की जायेगी एवं अधियाची विमाग को अनुशंसा इस शर्त्त के साथ मेजी जायेगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अम्यर्थियों का स्वास्थ्य जाँच निश्चित रूप से करा लिया जायेगा।"

3. **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" के नियम-8 के** उप-नियम 4 (ii) के बाद उप-नियम 4 (iii), 4 (iv) एवं 4 (v) जोड़ा जाना — उक्त नियमावली के नियम-8 में उप-नियम 4 (ii) के बाद उप-नियम 4 (iii), 4 (iv) एवं 4 (v) निम्नवत जोड़ा जायेगा :--

"4 (iii) जिन पदों के सेवा/संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा (online/offline) के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता/उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के 1.25 (सवा) गुणा अभ्यर्थियों, जो लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये हों, को प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतू मेधासूची तैयार की जायेगी।

परन्तु, रिक्तियों की कुल संख्या / कुल संख्या के 1.25 (सवा) गुणा से लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये अम्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अम्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधासूची तैयार की जायेगी।

Section -21 mdhi -579

परन्तु यह भी कि, यदि, प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात् चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अम्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकतानुसार 1.25 (गुणा) से अधिक योग्य अम्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।"

"4 (iv) जिन पदों के सेवा/संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा (online/offline) एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के 2.5 (ढ़ाई) गुणा अभ्यर्थियों, जो लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये हों, को प्रमाण पत्र सत्यापन/साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधासूची तैयार की जायेगी।

परन्तु रिक्तियों की कुल संख्या/कुल संख्या के 2.5 (ढ़ाई) गुणा से लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये अम्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में समी योग्य अम्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन/साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर घयन हेतु मेघासूची तैयार की जायेगी।

परन्तु यह भी कि, यदि, प्रमाण पत्र के सत्यापन/साक्षात्कार के पश्चात् चयन हेतु तैयार मेधासूची में किसी कोटि में चयनित अम्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है, तो आवश्यकतानुसार 2.5 (ढ़ाई) गुणा से अधिक योग्य अम्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन/साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।"

⁷4 (v) जिन पदों के सेवा/संवर्ग नियमावली में मात्र लिखित परीक्षा (online/offline) के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के 1.25 (सवा) गुणा अभ्यर्थियों, जो लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये हों, को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधासूची तैयार की जायेगी।

परन्तु रिक्तियों की कुल संख्या/कुल संख्या के 1.25 (सवा) गुणा से लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधासूची तैयार की जायेगी।

परन्तु यह भी कि, यदि, प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात् चयन हेतु तैयार मेधासूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विझापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है, तो आवश्यकतानुसार 1.25 (सवा) गुणा से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को मी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।"

अम्याथयां का भा प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।" बिहार राज्यपाल के श्वादेश से,

Section -21 adhi -581

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विमाग

NOTIFICATION

1. Short title, extent and commencement \vdash (1) These Rules may be called "Bihar Technical Service Commission Selection Procedure (Amendment) Rules 2024"

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force from date of its notification in the Gazette.

2. Substitution of sub-rule-(3) in rule-8 of Bihar Technical Service Commission Selection Procedure Rules. 2018 \vdash Sub Rule-3 of rule-8 shall be substituted of the said Rule as follows :-

" As per the prescribed provision of the post and cadre Rules, the final merit list shall be prepared by the Commission on the basis of the practical test/interview and verification of certificates, recomendation shall be sent to the requisition Department on the condition that the examination of health of the candidates shall be done essentially before issuing appointment letter."

3. Addition of sub-rule-4(iii). 4(iv) and 4(v) after sub rule-4(ii) in rule-8 of Bihar Technical Service Commission Selection Procedure Rules. 2018 \vdash Sub rule-4(iii), 4(iv) and 4(v) after sub rule-4(ii) shall be added in rule-8 of the said rules as follows :-

"4(iii) Where selection is made on the basis of the marks obtained in the written examination (online/offline) and work experience and educational qualification/marks obtained for the higher qualification, for those posts of service/cadre rules, in such case 1.25 times of the candidates for the vacancy advertised, who are successful in the written examination shall be called for certificate verification and on that basis merit list shall be prepared for selection.

Provided that, in case the number of candidates is less than the number of total vacancy/1.25 times of total number in the written examination, all eligible candidates shall be called for certificate verification and on that basis merit list shall be prepared for selection.

Section -21 adhi -582

Provided also that if, the number of selected candidate in certain category is less than the total number of the advertised vacancy in that category after the verification of the certificate, more than 1.25 times eligible candidates shall be called for the certificate verification as required ."

"4(iv) Where selection is made on the basis of written examination (online/offline) and marks obtained in interview, for those posts of service/cadre rules, in such case 2.5 times of the candidates, who are successful in written examination, shall be called for certificate verification/ interview and on that basis merit list shall be prepared for selection.

Provided that, in case the number of candidates is less than the number of total vacancy/2.5 times of total number in the written examination, all eligible candidates shall be called for certificate verification/interview and on that basis merit list shall be prepared for selection.

Provided also that if, the number of selected candidates in certain category is less than the total number of the advertised vacancy in that category after the certificate verification/interview, more than 2.5 times eligible candidates shall be called for the certificate verification/interview as required ."

"4(v) Where selection is made on the basis of marks obtained only in written examination (online/offline), for those posts of service/cadre rules, in such case 1.25 times of the candidates, who are successful in written examination, shall be called for certificate verification and on that basis merit list shall be prepared for selection.

Provided that, in case the number of candidates is less than the number of total vacancy/1.25 times of total number in the written examination, all eligible candidates shall be called for certificate verification and on that basis merit list shall be prepared for selection.

Provided also that if, the number of selected candidates in certain category is less than the total number of the advertised vacancy in that category after the certificate verification, more than 1.25 times eligible candidates shall be called for the certificate verification as required ."

> By the order of the Governor of lihar.

Secretary to Gavenment ...18:3:24.....

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section Finance Department, Bihar, Patna/All Departments to State Government/All Head of the Department/ Secretary, Bihar Technical Service Commission, Patna/Registrar, General, High Court Patna/A.G. Bihar, Patna/All Officers (Including Section Officers) of General Administration Department/ I.T. Manager, General Administration Department, Rihar, Patna for information and necessary action.

Section -21 adhi -583